पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 07/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-मेंहनाजपुर:-किशोरी के साथ छेडखानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 04.01.25 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की उम्र 17 साल 6 माह है। दिनांक 03.01.25 को समय 08.00 बजे सुबह वादिनी अपने घर से कोचिंग पढाने जा रही थी कि रास्ते में अभियुक्त रिपुल जैसवार पुत्र सुबास जैसवार ग्राम नरायनपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर जो अपने बुआ के घर रह रहा है द्वारा वादिनी की साइकिल को रास्ते मे रोककर वादिनी के साथ बतमीजी भरी बातें करने लगा तथा छेड़खानी करने लगा। जिसका विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा वादिनी व उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 04/2025 धारा 75(2),351(3) बीएनएस व 7,8 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 05.01.25 को उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रिपुल जैसवार पुत्र सुबास जैसवार ग्राम नरायनपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष को विनैकी मंदिर के पास से समय करीब 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

02.थाना-जीयनपुरः- किशोरी के साथ दुष्कर्म करने व विरोध करने पर जातिसूचक गाली देते हुए मारपीट करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.01.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं अनुसुचित जाति की महिला हूं, करीब 02 वर्ष पूर्व मैं पढने जा रही थी कि अभुयुक्त भुपेन्द्र उर्फ चंदू पटेल पुत्र मुन्ना सिंह पटेल निवासी बलुआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा रास्ते में वादिनी को रोककर उसके साथ गलत काम किया गया जिससे वादिनी गर्भवती है और बोला गया कि अगर किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूगां। अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर, दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। जब वादिनी द्वारा शादी करने के लिए कहा तो अभियुक्त द्वारा वादिनी को भद्दी-भद्दी जाति सूचक गाली देते हुए मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 05/2025 धारा 323/504/506/376/313 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट व धारा 3(1)द/ 3(1)ध/ 3(2)5 SC/ST ACT एक्ट बनाम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 05.01.2025 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त भुपेन्द्र सिंह उर्फ चंदू पुत्र रामहंस सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पटेल नि0ग्राम बलुआ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को अभियुक्त के घर से समय करीब 09.12 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03.थाना-बिलरियागंजः-जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूराजस्व) के आदेश दिनांक 20.11.2024 न्यायालय मुख्य राजस्व अधिकारी मण्डल आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ वाद सं0 1732/23 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D202315060001732 के अनुसार अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 के तहत फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जिला बदर 06 माह हेतु किया गया था। आदेश की तामिला होने के बावजूद गाँव घर में रहने के बाबत अभियुक्त फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन उपरोक्त का कृत्य अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 का दण्डनीय अपराध के तहत आज दिनांक 05.01.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 05.01.2025 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मधनापार का रहने वाला जिला बदर अपराधी फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन जो जिला बदर होने के बाद भी गाँव घर में लुक छिप कर रहता है। जिसके आधार पर मधनापार तिराहे से अभियुक्त फरहान खान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 06.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 05/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुंण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 346/23 धारा 406/506 भा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2.मु0अ0सं0 336/24 धारा 115(2)/351(2)/352 BNS थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3.मु0अ0सं0 05/2025 धारा 10 उ0प्र0 गुंण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

04.थाना-कोतवालीः-पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित *DV/PST* परीक्षा में कूटरचित दस्तावैज लगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के क्रम में पुलिस लाईन आजमगढ़ में डीवी,पीएसटी हेतु भर्ती बोर्ड का कार्यालय बनाकर नियमानुसार टीम गठित कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का बायोमैट्रीक एवं अभिलेखों का परीक्षण चल रहा है। प्रथम दल में श्री प्रशान्त कुमार अध्यक्ष उपजिलाधिकारी मेहनगर आजमगढ़, श्री गौरव शर्मा सदस्य पुलिस उपाधीक्षक आजमगढ़, डाक्टर निखिलेश चौरसिया सदस्य अस्थीरोग विशेषज्ञ 100- शैया चिकित्सालय फूलपुर, श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य सहजिला विद्यालय निरीक्षण आजमगढ़ एवं मैं(वादी) रफी आलम सदस्य निरीक्षक अपराध कोतवाली आजमगढ़ हूँ। दिनांक 4.1.2025 को बायोमैट्रीक जांच हेतु फाईल क्रमांक 60 रजिस्ट्रेशन नं0 11186668 पर भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरेराम निवासी ग्राम जिगनी खास थाना गड़वार जनपद बलिया समय करीब 15.20 बजे बायोमैट्रीक परीक्षण हेतु भर्ती बोर्ड कार्यालय उपस्थित आया। जिसका बायोमैट्रीक परीक्षण इनोवेटिव विव प्राईवेट लिमिटेड के बायोमैट्रीक आपरेटर गौरव कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम किशुनदासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा किया गया तो फोटो मिसमैच हो रहा था। जिसपर भूपेन्द्र सिंह उपरोक्त के शैक्षणीक अभिलेखों की जांच श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह सह जिला विद्यालय निरीक्षण आजमगढ़ उपरोक्त के द्वारा की गयी। एवं भूपेन्द्र सिंह से पूछताछ किया गया तो बताया कि मैंनें हाई स्कूल परीक्षण CBSC बोर्ड से वर्ष 2012 में अनिता मेमोरियल स्कूल मालदेयपुर बलिया से एवं इन्टर मीडिएट यूपीबोर्ड से 2016 में उत्तीर्ण किया था। लेकिन अनुचित लाभ पाने के लिए कूटरचित दस्तावेज से अपनी आयु को कम कराकर पुनः हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। आधारकार्ड में मेरी जन्मतिथि 29.11.1996 अंकित है। इस दस्तावेज से मैं पुलिस में भर्ती नही हो पाता। इसलिए मैंनें कूटरचित दस्तावेज को लगाकर अपनी जन्मतिथि में लगभग 8 वर्ष अन्तर कराकर दिनांक 28.11.2004 का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उक्त परीक्षा में फार्म भरते समय लगाया था। इस प्रकार से अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उपरोक्त के द्वारा अनुचित लाभ पाने के उद्देश्य से मूल्यवान प्रतिभूति जन्मप्रमाण पत्र का कूटरचित जानते हुए प्रयोग किया गया है। डीवी,पीएसटी की प्रक्रिया पूरी होने पर अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उपरोक्त को दिनांक 04.01.25 को 15.20 बजे हिरासत में लिया गया। घटना के आधार पर मु0अ0सं0 07/2025 धारा 318(3),336(2),338,340(2) BNS पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

05.थाना-सिधारीः- बायोमेट्रिक की मदद से आधार नम्बर एवं अंगूठे का फर्जी क्लोन बनाकर दूसरों के खाते से पैसा निकालने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

दिनांक 04.01.2025 को उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह मय हमराह व उ0नि0 मो0 अबूशाद मय हमराह की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना मिली की कुछ लोग जो बायोमेट्रिक की मदद से आधार नम्बर एवं अंगूठे का फर्जी क्लोन का प्रयोग करके दूसरों के खाते से पैसा निकाल लेते हैं, रेलवे क्रासिंग मूसेपुर के पास खडे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर समय करीब 19.42 बजे अभियुक्त 1. संजय कुमार पुत्र बाबूलाल गौतम निवासी ग्राम नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष 2. अनुराग सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी.3911 संजय कालोनी, सेक्टर 23, गली नं०-39,निकट राजेन्द्र चौक, फरीदाबाद (हरियाणा) उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लैपटौप लेनोवो मय चार्जर, 05 अदद अंगुष्ठ चिन्ह क्लोन, 01 अदद यूएसबी बायोमैट्रिक मशीन,01 अदद टाइप सी बायोमैट्रिक मशीन (मोबाइल से कनेक्ट करने वाला), 23 अदद बन्द लिफाफा सिमकार्ड, 02 अदद सिमकार्ड खुला हुआ,तीन अदद कूटरचित आधार कार्ड व 16740/- रूपया नगद बरामद किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/2025 धारा 319(2),318(4),336(2),338,336(3), 340(2)बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अपराध करने का तरीकाः-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी सिम कार्ड प्राप्त कर सिम कार्ड के प्रयोग से AEPS (AADHAR ENABLE PAYMENT SYSTEM) की आईडी के माध्यम से SPICE MONEY PAY, WINGO RAZORPAY, AIRTEL MITRA आदि की आईडी बनाकर उससे आधार कार्ड से रूपया निकालने का काम करते है | हम लोगों द्वारा आईडी बनाने के लिये दूसरे के नाम का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और लाइव फोटो का प्रयोग किया जाता है | बायोमेट्रिक की मदद से आधार नम्बर एवं अंगूठे का फर्जी क्लोन का प्रयोग करके दूसरों के खाते से पैसा निकालकर अपने उपयोग में लिया जाता है | यह काम हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से सिम कार्ड एवं आईडी प्राप्त करके करते है,ताकि साइबर कम्प्लेन होने पर हमलोगों का नाम न आकर दूसरे जिलों /राज्यों के लोगों का नाम आये और पुलिस को गुमराह किया जा सके और हम लोग बच सके | साहब हम लोग एक गिरोह बनाकर अपने और अपने परिवार के जीवनयापन के लिए यह कार्य करते है,

बरामदगी का विवरणः-

01. 03 अदद मोबाइल फोन,
02. 01 अदद लैपटौप लेनोवो मय चार्जर,
03. 05 अदद अंगुष्ठ चिन्ह क्लोन,
04. 01 अदद यूएसबी बायोमैट्रिक मशीन,
05. 01 अदद टाइप सी बायोमैट्रिक मशीन (मोबाइल से कनेक्ट करने वाला),
06. 23 अदद बन्द लिफाफा सिमकार्ड,
07. 02 अदद सिमकार्ड खुला हुआ,
08. 03 अदद कूटरचित आधार कार्ड,
09. 16740/- रूपया नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 मो0 अबूशाद साइबर सेल आजमगढ़
3. हे0का0 ओम प्रकाश जायसवाल साइबर सेल आजमगढ़
4. हे0का0 मुकेश भारती साइबर सेल आजमगढ़
5. हे0का0 सर्वेश यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

6. का0 आदित्य कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
7. का0 राहुल सिंह साइबर सेल आजमगढ़
8. का0 सत्येन्द्र यादव साइबर सेल आजमगढ़

06.थाना-जीयनपुरः-जानलेवा हमला करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में तथा जानलेवा हमले के लिए उकसाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 04.01.2025 को वादी हरेन्द्र यादव S/O विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम मण्डनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया दिनांक 03-01-2025 की शाम लगभग 7.30 बजे वादी की पत्नी सुभावती देवी हमारे पुराने घर मे चौकी पर लेटी थी तभी वादी का सगा भतीजा जो नाबालिग है द्वारा वादी के गाँव के डब्लू मिश्रा पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मण्डनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के सहपर वादी की पत्नी को जान से मारने की नियत से ईंट लेकर उसके सिर पर लगातार मारने लगा और उसका गला दबाने लगा जिससे उसके सिर में काफी गम्भीर चोट आ गयी तब वह वहाँ से भाग गया । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 07/2025 धारा 333/125/109/61(2) BNS थाना अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 05.01.2025 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. देवेन्द्र मिश्र उर्फ डब्लू मिश्रा पुत्र बृजेश मिश्र निवासी मण्डनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को उसके घर ग्राम मण्डनपुर से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. देवेन्द्र मिश्र उर्फ डब्लू मिश्रा पुत्र बृजेश मिश्र निवासी मण्डनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।
2. 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद ईट का टुकड़ा

07.थाना-सरायमीरः-दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.12.2024 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री घर के बाहर बने बाथरूम में जा रही थी जहाँ पहले से घात लगाकर बैठा परविन्द उर्फ पिन्टू पुत्र स्व0 रामआसरे निवासी नरईपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेडखानी की गयी जिसका विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा पीडिता को जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-657/2024 धारा 352/351(2)/75 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान व मेंडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 05.01.2025 को व0उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त परविन्द उर्फ पिन्टू पुत्र रामाश्रय निवासी नरईपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र 34 वर्ष को नरईपुल के पास समय करीब 14.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

08.थाना-कोतवाली:-फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में बैठने वाला साल्वर व अभ्यर्थी दोनों गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

प्रोफेसर अफसर अली (केन्द्राध्यक्ष) प्रिंसिपल शिब्ली नेशनल कालेज आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि शिब्ली नेशनल कालेज परीक्षा केन्द्र में संचालित की जा रही UPCCSCR : 2024-25 परीक्षा में दिनांक 04-01-2025 को प्रथम पाली की परीक्षा में कक्ष संख्या- 103 में अनूप सागर पुत्र वीरेन्द्र कुमार ग्राम मऊपारा, देवकली गाज़ीपुर सम्मिलित हुआ, उक्त कक्ष में 03 कक्ष निरीक्षक, 01. डा0 मोहम्मद अफजल अन्सारी (7452805782), 02. शाहबाज़ अरशद (7518342606), 03. विजय कुमार यादव (9450118941) ड्यूटी पर थे। उक्त अभ्यर्थी का आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया में KYC अपडेट न हो पाने के कारण डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा था, अतः संदेहवश जब पूछा गया तो पहले स्वीकार करने से मना कर दिया एवं स्वयं को अनूप सागर पुत्र वीरेन्द्र कुमार बताया परन्तु जब परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिस बल की सहायता से सख्ती से पूछताछ की गयी तो उक्त सम्मिलित अभ्यर्थी ने अपना सही नाम विकास कुमार पुत्र राम आसरे प्रसाद निवासी असनिया कुवा, थाना कदम कुवा, पटना, बिहार बताया। अनूप सागर पुत्र वीरेन्द्र कुमार के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में सम्मलित विकास कुमार पुत्र राम आसरे प्रसाद ने यह भी बताया कि कुछ पैसों के बदले उसने यह काम किया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 6/25 धारा 61(2),319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 6 /10 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 यश सिंह पटेल, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों **01.**विकास कुमार उर्फ राकेश कुमार पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद उर्फ अरूण कुमार निवासी असनिया कुवा, थाना कदम कुवा, पटना, बिहार के बजाय हिलसा मोहल्ला शिवगुरु कालोनी पटेलनगर थाना हिलसा जिला नालंदा बिहार उम्र 38 वर्ष 02.अनुप सागर पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम मऊपारा देवकली थाना नन्दगंज जिला गाजीपुर उम्र 24 वर्ष को शिब्ली नेशनल कालेज पहाड़पुर से दिनांक 04.01.25 को समय करीब 18.49 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.विकास कुमार उर्फ राकेश कुमार पुत्र श्री राम आसरे प्रसाद उर्फ अरूण कुमार निवासी असनिया कुवा, थाना कदम कुवा, पटना, बिहार के बजाय हिलसा मोहल्ला शिवगुरु कालोनी पटेलनगर थाना हिलसा जिला नालंदा बिहार उम्र 38 वर्ष

02.अनुप सागर पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम मऊपारा देवकली थाना नन्दगंज जिला गाजीपुर उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01. 02 अदद मोबाईल घटना में प्रयुक्त

02. 08 अदद छायाप्रति एडमिट कार्ड

03. 02 अदद आधार कार्ड,

04. 01 अदद डीएल,

05. 02 अदद एटीएम,

06. 01 अदद आईडेन्टी कार्ड

07. 1240 रूपये नगद बरामद।

थाना कोतवाली
जनपद - आजमगढ़ मो0- 9454402914